

ID - 211

3/07/2022

Times of India

Times of India
18/07/2022

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

Public Notice

This is for information of all the owners/occupiers of the existing buildings i.e. Residential/Storage/Assembly/Educational/Commercial/Institutional/ Industrial/Hazardous occupancy etc. irrespective of their height falling under the jurisdiction of NDMC area. As per GNCTD Notification dated 24.04.2019 & 10.02.2020 and subsequent GNCTD order dated 15.06.2020 wherein it has been directed to make buildings in Delhi seismically compliant. Therefore, all the owners/occupiers are hereby directed to get Structural Audit of their building done from a Qualified Structural Engineer empanelled with Govt. Agencies whose list is available on the NDMC website. The Structural Engineer shall certify that the structural design and specifications of the buildings are as per Clause 9.1 of the Unified Building Bye Laws of Delhi 2016 & and is safe as per the guidelines issued for earthquake.

Sd/-
(CHIEF ARCHITECT)
NDMC

18/07/2022



नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

सार्वजनिक सूचना

यह सूचना न.दि.न.पा.प. क्षेत्र के अधिक्षेत्र के अधीन पड़ने वाली मौजूदा इमारतों यानी आवासीय/भण्डारण/सदन/शैक्षणिक/व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक/खतरनाक व्यवसाय आदि, चाहे उसकी ऊंचाई कुछ भी हो, के सभी स्वामियों/दखलदारों की जानकारी हेतु है। रा.रा.क्षे.दि.स. अधिसूचना दिनांक 24.04.2019 व 10.02.2020 और आगामी रा.रा.क्षे.दि.स. आदेश दिनांक 15.06.2020 के अनुसार, जिसमें दिल्ली भूकंपीय पालन के अनुसार इमारतों का निर्माण करने का आदेश दिया गया है। इसलिए, सभी स्वामियों/दखलदारों को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि सरकारी एजेंसियों में सूचीबद्ध किसी योग्य संरचनात्मक अभियन्ता, जिसकी सूची न.दि.न.पा.प. वेबसाइट में उपलब्ध है, से करवाई गई अपनी इमारतों का संरचनात्मक लेखा-परीक्षण प्राप्त करें। संरचनात्मक अभियन्ता यह स्पष्ट करेंगे कि इमारतों की संरचनात्मक रूपरेखा और विशिष्टता, दिल्ली 2016 के एकीकृत निर्माण उप-नियमों के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार हैं और भूकम्प हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सुरक्षित हैं।

(मुख्य वास्तुशिल्प)
न.दि.न.पा.प.